पत्रांक–अ०सं०क०–08–ग–आ०वि० (स्था०)–11/2024....................../

**बिहार सरकार**

**अल्पसंख्यक कल्याण विभाग**

---

प्रेषक,

**डा० अमीर आफाक अहमद फैजी**
विशेष सचिव–सह–निदेशक

सेवा में,

**निदेशक**
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक....................

विषयः– **बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालंदा एवं कैमूर (कैंप विद्यालय क्रमशः मुजफ्फरपुर एवं जमुई) के अन्तर्गत सेवानिवृत प्रधानाध्यापक/उच्च माध्यमिक (10+2) शिक्षक (प्रशिक्षित)/माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन करने के संबध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है पूर्व में विज्ञापन सं०–PR-025662 (Minority Welfare) 2025-26 के द्वारा बिहार राज्य अल्पसख्यंक आवासीय विद्यालय, कटिहार, जमुई, नालन्दा, मुजफ्फरपुर एवं कैमूर के वर्ग–09वीं से 12वीं (कला/विज्ञान संकाय) हेतु प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) एवं माध्यमिक शिक्षक को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु निर्धारित रोस्टर बिन्दु के अनुसार विज्ञान प्रकाशित किया गया है, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए पुनः बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार, जमुई, नालन्दा, मुजफ्फरपुर एवं कैमूर के स्थान पर नालंदा एवं कैमूर (कैम्प विद्यालय क्रमशः मुजफ्फरपुर एवं जमुई) के अन्तर्गत वर्ग–09वीं से 12वीं (कला/विज्ञान संकाय) हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। आवेदन समर्पित करने की तिथि 11.06.2026 से 18.06.2026 तक निर्धारित है। विज्ञापन प्रकाशन की सामग्री (हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सहित) संलग्न है।

अनुरोध है कि इसका प्रकाशन राज्य के प्रमुख हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

**अनुलग्नकः–यथोक्त।**

विश्वासभाजन

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः–अ०सं०क०–08–ग–आ०वि० (स्था०)–11/2024.....2155/ पटना, दिनांक....11.06.2026

**प्रतिलिपि** :–श्रीमती जयन्ति, विभागीय नोडल पदाधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि** :–आई०टी०मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विज्ञापन प्रारूप (प्रति संलग्न) को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विशेष सचिव–सह–निदेशक 11/6

# बिहार सरकार
## अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
## (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

**बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालंदा एवं कैमूर (कैम्प विद्यालय क्रमशः मुजफ्फरपुर एवं जमुई) के अंतर्गत शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/उच्च माध्यमिक (10+2) शिक्षक (प्रशिक्षित)/माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन**

विज्ञापन सं०–PR-025662(Minority Welfare) 2025-26 के द्वारा पूर्व में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार, जमुई, नालन्दा, मुजफ्फरपुर एवं कैमूर के वर्ग–09वीं से 12वीं (कला/विज्ञान संकाय) हेतु प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) एवं माध्यमिक शिक्षक को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु निर्धारित रोस्टर बिन्दु के अनुसार विज्ञान प्रकाशित किया गया है, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए पुनः बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार, जमुई, नालन्दा, मुजफ्फरपुर एवं कैमूर के स्थान पर नालंदा एवं कैमूर (कैम्प विद्यालय क्रमशः मुजफ्फरपुर एवं जमुई) के वर्ग–09वीं से 12वीं (कला/विज्ञान संकाय) हेतु प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) एवं माध्यमिक शिक्षक को सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के परिपत्र संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 में निहित शर्तों के अधीन विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त आवेदन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/निदेशालय, प्रथम तल, चतुर्थ ब्लॉक, पुराना सचिवालय, पटना–800015 में कार्य दिवस में हाथों–हाथ अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से जमा किया जा सकता है। आवेदन जमा करने प्रारंभ की तिथि– 11.06.2026 अंतिम तिथि–18.06.2026 है। जिन आवेदकों द्वारा विज्ञापन संख्या-PR-025662(Minority Welfare) 2025-26 के आलोक में आवेदन किया गया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय यथा– नालंदा एवं कैमूर (कैम्प विद्यालय क्रमशः मुजफ्फरपुर) एवं जमुई) में रिक्ति एवं आवेदन प्रपत्र की विस्तृत सूचनाएँ विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare/CitizenHome.html पर भी देखी जा सकती है।

विशेष सचिव–सह–निदेशक 11/6

# बिहार सरकार
## अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
## (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

### सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/उच्च माध्यमिक (10+2) शिक्षक (प्रशिक्षित)/माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के नियोजन हेतु विज्ञापन

**आवेदन प्राप्ति की प्रारंभिक तिथि– 11.06.2026 एवं अंतिम तिथि– 18.06.2026**

विज्ञापन सं०–PR-025662(Minority Welfare) 2025-26 के द्वारा पूर्व में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार, जमुई, नालन्दा, मुजफ्फरपुर एवं कैमूर के वर्ग–09वीं से 12वीं (कला/विज्ञान संकाय) हेतु प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) एवं माध्यमिक शिक्षक को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु निर्धारित रोस्टर बिन्दु के अनुसार विज्ञान प्रकाशित किया गया है, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए पुनः बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार, जमुई, नालन्दा, मुजफ्फरपुर एवं कैमूर के स्थान पर नालंदा एवं कैमूर (कैम्प विद्यालय क्रमशः मुजफ्फरपुर एवं जमुई) के अन्तर्गत वर्ग–09वीं से 12वीं (कला/विज्ञान संकाय) हेतु निम्नरूपेण संशोधित रोस्टर बिन्दु के अनुसार प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) एवं माध्यमिक शिक्षक को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं०–10000, दिनांक– 10.07.2015 में निहित शर्तों के अधीन संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

| क्र० | पद | विषय | रिक्त पदों की संख्या (पदो की संख्या x जिला) | आरक्षण बिन्दु |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रधानाध्यापक | | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 1 | उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित) | अंग्रेजी | 2×4=08 | UR-03, EBC-01, BC-01, SC-02, EWS-01 |
| 2 | | हिन्दी | 2×4=08 | UR-03, EBC-01, BC-01, SC-02, EWS-01 |
| 3 | | उर्दू | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 4 | | गणित | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 5 | | भौतिक शास्त्र | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 6 | | रसायन शास्त्र | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 7 | | वनस्पति विज्ञान | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 8 | | जीव विज्ञान | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 9 | | कम्प्यूटर | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 10 | | इतिहास | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 11 | | भूगोल | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 12 | | समाज शास्त्र | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 13 | | राजनीति शास्त्र | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 14 | | गृह विज्ञान | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 15 | | मनोविज्ञान | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 16 | | अर्थशास्त्र | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| | | कुल | **72** | |
| 1 | माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) | अंग्रेजी | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 2 | | हिन्दी | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 3 | | उर्दू | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 4 | | फारसी | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 5 | | अरबी | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 6 | | विज्ञान | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 7 | | गणित | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 8 | | समाज शास्त्र | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 9 | | शारीरिक शिक्षा | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 10 | | संगीत/कला | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| 11 | | कम्प्यूटर | 1×4=4 | UR-02, BC-01, SC-01 |
| | | कुल | **44** | |
| | | कुल योग | **4 + 72 + 44 = 120** | |

कृ०पृ०उ०

2. जिस आवेदक के द्वारा पूर्व में आवेदन समर्पित किया गया है, को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. अभ्यर्थी का नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग के सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–10000, दिनांक–10.07.2015 में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित शर्त्ते रहेगीः–

"चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षो अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा विस्तार उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।

4. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक / शिक्षकों को मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्त के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगा, वही देय होगा।

5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–13522, दिनांक–17.11.2021 के अनुसार नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए निर्धारित मानदेय देय होगा।

6. आवेदक को आवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध निगरानी का मामला, विभागीय कार्यवाही, गंभीर आरोप, आपराधिक मामला दर्ज / विचाराधीन नहीं है तथा असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं महालेखाकार से निर्गत सेवानिवृति प्रमाण पत्र (OPS/NPS) आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा (विहित प्रपत्र–I एवं प्रपत्र–II विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare/CitizenHome.html से डाउनलोड किया जा सकता है)।

7. सेवानिवृत्त शिक्षक अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय / विभाग में आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में तिथि–18.06.2026 तक हाथोंहाथ अथवा पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से जमा करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद समर्पित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. आवेदक का केवल एक ही आवेदन अनुमान्य होगा।

9. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में महिलाओं, दिव्यांगो, स्वतंत्रता सेनानी के पोता–पोती / नाती नतिनी के लिए क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

10. सेवानिवृत्त शिक्षकों को आवासन की सुविधा उपलब्ध रहने के स्थिति में पदस्थापित आवासीय विद्यालय के परिसर में ही आवासित रहना होगा। आवासन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने पर अपना आवासीय पता एवं सम्पर्क दूरभाष / मोबाईल नं० विद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

11. चयनित कर्मियों को विद्यालय द्वारा विहित / निदेशित विशेष कक्षा का संचालन करना होगा तथा शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त विद्यालय प्रधान / निदेशालय / विभाग द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना होगा।

12. चयनित शिक्षकों की सेवा / देयता राज्य के किसी भी अन्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए होगा।

13. विज्ञापन को रद्द करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताए निदेशालय / विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

10.6.26

उप निदेशक

# आवेदन–प्रपत्र

**बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालंदा एवं कैमूर (कैम्प विद्यालय क्रमशः मुजफ्फरपुर एवं जमुई) के अन्तर्गत शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) प्रशिक्षित/माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन–पत्र**

---

1. आवेदित पद का नामः– प्रधानाध्यापक ☐
   उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित) ☐
   माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) ☐
2. आवेदक/आवेदिका का नामः–
3. पिता/पति का नामः–
4. जन्म तिथिः–
5. सेवानिवृत्ति तिथिः–
6. आधार कार्ड संख्याः ☐
7. पैन कार्ड नं०ः– ☐
8. लिंगः– पुरूष ☐ महिला ☐ थर्ड जेंडर ☐
9. दिव्यांगः– हाँ ☐ नहीं ☐
10. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती–नतीनीः– हाँ ☐ नहीं ☐
11. आरक्षण कोटिः– सामान्य ☐ अनु० जाति ☐ पिछड़ा वर्ग ☐
    अत्यंत पिछड़ा वर्ग ☐ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ☐
12. स्थायी पताः– ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर..........
    पोस्टः–.........., थानाः–..........
    .........., जिलाः–.........., पिन कोडः–..........
13. पत्राचार का पता ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर..........
    पोस्टः–.........., थानाः–..........
    ..........जिलाः–.........., पिन कोडः–.........., मो० नं०ः–..........
14. शैक्षणिक योग्यताः– स्नातक ☐ स्नातकोत्तर ☐ पी०एच०डी० (अगर हो तो) ☐
15. विषयः– ☐
16. प्रशिक्षण की स्थितिः– प्रशिक्षित ☐ अप्रशिक्षित ☐
17. विद्यालय का नाम (राज्य सरकार के विद्यालय 10+2 विद्यालयों से सेवानिवृत) का पूरा पता जहाँ से सेवानिवृत्त हुए है तथा जिस विषय के शिक्षक रहें है, विषय का नामः– विद्यालय का नाम–.......... .........., विद्यालय का पताः–..........,
    विषयः–..........
18. कोषागार/बैंक का नाम जहाँ से पेंशन प्राप्त कर रहे हे/पी०पी०ओ०न० (महालेखाकार/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पी०पी०ओ० प्रमाण पत्र संलग्न):–..........
    ..........
19. कोई आरोप/दंड यदि हो, तोः–..........

पासपोर्ट साइज का स्व अभिप्रमाणित फोटो

## उद्घोषणा

(क) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर अंकित सभी सूचनाएँ सही है, यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत सूचना दी जाती है तो मेरे विरूद्ध नियोजन प्राधिकार कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–10000, दिनांक–10.07.2015 की सभी शर्त्तें मुझे मान्य है।

**दिनांकः–**

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

## कार्यालय, असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

ज्ञापांक................../                                                    दिनांक............................./

### प्रमाण–पत्र

श्री ........................................................................ पिता श्री.............................................................................

ग्राम/मोहल्ला ............................................................................................पोस्ट.........................................

थाना .................................................... जिला....................................... का स्वास्थ्य जाँच आज दिनांक– .................................... को की गई। जाँचोपरान्त पाया गया कि ये शारीरिक रूप से स्वस्थ्य है।

पहचान चिन्ह ..................................................................................................

हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

फोटो

असैनिक शल्य चिकित्सक
–सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

कार्यालय ..............................................................................................

## स्वच्छता प्रमाण–पत्र

1. नाम ..............................................................................................................................................................

2. पदनाम .........................................................................................................................................................

3. पदस्थापन का स्थान .................................................................................................................................

4. जन्म तिथि ..................................................................................................................................................

5. सेवानिवृति की तिथि ..................................................................................................................................

6. पदस्थापन अवधि .......................................................................................................................................

7. विद्यालय / कार्यालय ..............................................................................

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त शिक्षक / कर्मचारी सेवानिवृति के पश्चात इनके ऊपर आलोच्य अवधि में किसी भी प्रकार का आरोप / बकाया / विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।

प्रधानाध्यापक / प्रभारी
विद्यालय / कार्यालय